न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध प्रार्थना पत्र संख्या 17 / 2023 (2023 / 51)

प्रार्थी :–

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

यशपाल पुत्र धोकलराम जाति चौधरी निवासी विद्यानगर पुलिस थाना माता का थान जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 27.05.2024

श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक /कोर्ट/डीएम/1892 दिनांक 25.10.2023 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जाकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पुष्पराज पालीवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का नियन्त्रण) आदेश 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी यशपाल पुत्र धोकलराम जाति चौधरी निवासी विद्यानगर पुलिस थाना माता का थान, जोधपुर के पेश करते हुए जाहिर किया कि श्रीमान जिला रसद अधिकारी जोधपुर के टेलिफोनिक निर्देश पर कि पुलिस थाना माता का थान द्वारा अवैध गैस सिलेण्डरों के भण्डारण बाबत कार्यवाही की गयी है जिसकी अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना पहुंचने पर पुलिस थानाधिकारी माता का थान द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.10.2023 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

रात्री में सूचना पर अप्रार्थी के मकान स्थित विद्यानगर माता का थान जोधपुर में दबिश दी गई जहां एक कमरे में भारी मात्रा में अवैध गेंस सिलेण्डर व अन्य सामान पाया गया जिसको लॉक किया गया था इस पर पुलिस थानाधिकारी के साथ उक्त स्थल पर पहुंचा। मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने अपना नाम यशपाल पुत्र धोकलराम बताया तथा बताया कि यह मकान व इसमें रखा सामान उसी का है। यशपाल तथा उपस्थितों के रूबरू उक्त कमरे का ताला खुलवाने पर 53 व्यवसायिक खाली गैस सिलेण्डर, 35 घरेलु गैस सिलेण्डर जिनमें से 27 घरेलु गैस सिलेण्डर गैस से भरे हुए तथा 8 घरेलु गैस सिलेण्डर खाली पाये गये तथा 06 छोटे खाली गैस सिलेण्डर भी भण्डारित पाये गये। इसके अतिरिक्त कमरे का भौतिक सत्यापन करने पर दोनों तरफ नोजल/रेगुलेटर लगे तीन पाईप लाईन, एक इलेक्ट्रिक कांटा, 13 घरेलु गैस रेगुलेटर, 48 गैस पाईप, 80 खाली गैस कैप, एक हीट गन एवं एक डिब्बे में रखी 74 गैस डायरियां पाई गई। मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्रीयों के भण्डारण बाबत पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा ना ही कोई कागजात प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का अवैद्य भण्डारण, अवैद्य क्रय विक्रय एवं रिफिलिंग का कार्य करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने से तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तसुदा 53 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 35 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 06 छोटे गैस सिलेण्डर एवं दोनों तरफ नोजल/रेगुलेटर लगे तीन पाईप लाईन एक इलेट्रिक कांटा, 13 घरेलु गैस रेगुलेटर, 48 गैस पाईप, 80 खाली गैस कैप व एक हीट गन एवं एक डिब्बे में रखी 74 गैस डायरियों को राजसात करने एवं गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस का अंतरिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है।

थानाधिकारी पुलिस थाना माता का थान आयुक्तालय जोधपुर पूर्व ने भी मुकदमा संख्या 231/2023 दिनांक 02.10.2023 धारा 385, 336 भादस एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस्तगासा प्रस्तुत कर जाहीर किया कि दिनांक 02.10.2023 को विद्यानगर स्थित मकान नम्बर 10,11 जिस पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम यशपाल पुत्र धोकलराम चौधरी बताया कि कमरे में 35 घरेलु गैस सिलेण्डर से 53 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 35 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 06 छोटे गैस सिलेण्डर भण्डारित पाये इनमें से 27 घरेलु मिले सिलेण्डर गैस से भरे हुए व 08 सिलेण्डर [illegible] व 06 छोटे सिलेण्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

भी खाली पाये गये इसके अतिरिक्त उक्त कमरे में एक इलेक्ट्रानिक कांटा, 03 नोजल/रेगुलेटर लगे पाईप लाईने, 13 रेगुलेटर, 48 गैस पाईप, 80 खाली कैप व एक हीट गन एवं 74 गैस डायरियां भी पाई गई जो नियमानुसार मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्रीयों को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अधिग्रहण किया गया जिन्हे भौम सिंह स्टोर कीपर मारवाड़ गैस सर्विस जोधपुर को सुरक्षित रखने एवं साक्ष्य हेतु सूपूर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने घर में भारी मात्रा में गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करना एवं अन्य सामग्रीया पाया जाना स्पष्ट करता हैं कि उसके द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भंडारण, अवैध क्रय विक्रय तथा रिफिलिंग का कार्य किया जाता है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित। अप्रार्थी को जवाब एवं बहस हेतु कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मौके पर गैस सिलेण्डरों के साथ–साथ दोनों तरफ नोजल/रेगुलेटर लगे तीन पाईप लाईन, एक इलेक्ट्रिक कांटा, 13 घरेलु गैस रेगुलेटर, 48 गैस पाईप, 80 खाली गैस कैप, 01 हीट गन एवं एक डिब्बे में रखी 74 गैस डायरियां भी पाई गई। मौके पर उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्रीयों के भण्डारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई वैध कागजात पेश नहीं किये गये है तथा ना ही अप्रार्थी द्वारा कोई वैध लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र पेश किया गया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अपने घर में अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण, अवैध क्रय–विक्रय तथा रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तसुदा 53 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 35 घरेलु गैस सिलेण्डर, 06 छोटे गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रानिक कांटा, 03 नोजल रेगुलेटर लगे पाईप लाईने, 13 रेगुलेटर, 48 गैस पाईप, 80 खाली गैस कैप व एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

हीट गन एवं 74 गैस डायरियों को राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे तथा एक इलेक्ट्रानिक कांटा, 03 नोजल/रेगुलेटर लगे पाईप लाईने, 13 घरेलु गैस रेगुलेटर, 48 गैस पाईप, 80 खाली कैप व एक हीट गन को निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावे। आदेश की एक प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना माता का थान आयुक्तालय जोधपुर पूर्व एवं एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को भिजवाई जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested